

दिनांक 07 अगस्त, 2020 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का विस्तारः मूल अवधि से परे नब्बे दिनों से आगे की अवधि तक कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना

F. No. L2 1020/ 16/2020-II

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

522-ए, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110001

डीटी. दिनांक 26 जून, 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) / प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) /सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (स्वास्थ्य)

विषयः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का विस्तार, मूल अवधि से परे नब्बे दिनों से आगे की अवधि तक कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना

महोदय/महोदया,

यह निर्देश हुआ है कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेजः कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना' है, जिसे नब्बे दिनों की अवधि के लिए दिनांक 30 मार्च, 2020 को लॉन्च किया गया था उसे अर्ध सरकारी पत्र (डीओ पत्र) दिनांक 30 मार्च, 2020 और अर्ध सरकारी पत्र (डीओ पत्र) नं. जेड-18016/1/2020/PMGKP-NHMII दिनांक 03 अप्रैल, 2020 (संलग्न प्रतियां) के माध्यम से सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया गया था। इस बीमा योजना को मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार मूल अवधि से परे नब्बे दिनों की अवधि से आगे बढ़ाया गया है।

यह अनुरोध किया जाता है, कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के विस्तार के बारे में सूचना को योजना के तहत आने वाले कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित सभी संबंधित हितधारकों के संज्ञान में लाया जाए।

संलग्न,

ऊपरोक्त अनुसार

आपका आभारी,

(एस. नायक)
उपनिदेशक भारत सरकार, सचिव
011-23061288